SOP NEET PG - 2023 ADMISSION

1.Candidate has to register his/her presence in the register.

2.Candidate will procure

- **Admission Form Booklet**
- **Form**
- **PG Bond Format(Where Applicable)**
- **Information regarding Anti Ragging Online Affidavit**
- **GeneralAffidavit-02**
- **HostelAffidavit-01**
- **Anti-Ragging Affidavit-02s**

3.InformationRegarding

- Fee & DD details
- Gapaffidavitinformation
- Medical Documentation
- Hostel
- Bond

4.DocumentsRequired

1. Allotment letter(Original)
2. Relieving Letter (*forNEET-PG2nd/3rdCounselling*)
3. Admit Card issued by NBE
4. Result/Rank Letter issued by NBE
5. High School Certificate
6. M.B.B.S. Mark Sheets (All4Professional)
7. M.B.B.S. Provisional/Permanent Degree
8. Internship Completion Certificate/Certificate from the Head of Institution or College that the candidate shall complete the Internship by 11th Aug 2023(as per NBE Notice)
9. Attempt Certificate
10. Permanent/provisional Registration Certificate issued by MCI/ State Medical Counsel. (*Provisional Registration Certificate is acceptable only in cases where candidate is under going internship and likely to complete the same on or before 11th Aug 2023 (as per NBE Notice*).
11. Transfer Certificate
12. Migration Certificate
13. Character Certificate (from last institution attended)
14. Reservation Category Certificate (For All India Quota candidates as per then form action bulletin published by National Board of Examination or directions issued by MCC or competent authorities. For state quota as per the state government norms.)
15. Sub Category Certificate(same as above)
16. Gap Period Affidavit(if applicable)
17. Affidavit(05)
18. Candidate sunder Bond have to furnish NOC issued from competent authority of parent Department.
19. Declaration regarding marriage status.
20. Declaration in Affidavit regarding registration in Uttarakhand in 01 month for outside Uttarakhand candidates.

Formalities regarding Bond Execution

- **Two sureties (at least one should be Parent/Guardian) with Photo - ID, Address proof in original and a attested photo copy from a gazette officer/Notarized.**
- Supporting documents regarding immovable **property of the sureties in original separately for both sureties.**
- **Change in the bond status will not be allowed after the last date of admission.**
- Candidates reporting to the college must carry one of the identification proofs (ID Proof) at the time of admission (as mentioned in the Information Bulletin published by the National Board of Examinations (NBE) for NEET-PG 2023 i.e. PAN Card, Driving License, Voter ID, Passport or Aadhar Card).
- As per the directions of NMC, Candidates who have deposited their original documents with any other Institute/College/ University and come for admission with certificate stating that "their original certificates are deposited with the Institute/College / University" shall not be allowed to take admission in allotted Medical College.
- Receipt of admission & other fees.
- **In Service Candidates, from Uttarakhand PMHS cadre will be under Terms/Conditions of policy for PG education Under GO-50/XXVIII-1/20-02(01)2014 dated**
- **In service Candidates (Govt. Services) State/Central will have to submit NOC & Relieving from respective department/ authority at the time of admission/joining. If the candidate opts for execution of bond with the Uttarakhand Govt. to avail subsidized fee, he/she has to furnish NOC from the Competed Authority Regarding two years of compulsory service in state of Uttarakhand as per terms and conditions of the bond.**
- **Candidate with Photo-ID, Address proof.**
- **Recent Passport size colour Photographs Six (06)**
- **02 set of self-attested photocopies of above certificates & PDF in all documents with Pen Drive.**

शैक्षणिक सत्र 2023 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0 / एम0एस0) हेतु शुल्क का विवरण

क0सं0	शुल्क का नाम	क्लीनिकल विषयों हेतु बॉण्ड सहित शुल्क का विवरण	क्लीनिकल विषयों हेतु बॉण्ड रहित शुल्क का विवरण	नॉन– क्लीनिकल विषयों (एनॉटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकमेस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माईकोबायोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसन, एवं कम्युनिटी मेडिसन) हेतु शुल्क का विवरण	नॉन– क्लीनिकल विषय (पैथोलॉजी) हेतु शुल्क का विवरण
1	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	Rs. 6,000/-	Rs. 6,000/-	Rs. 6,000/-	Rs. 6,000/-
2	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	Rs. 60,000/-	Rs. 5,00,000/-	Rs. 1,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
3	छात्रावास शुल्क (प्रतिवर्ष)	Rs. 12,000/-	Rs. 12,000/-	Rs. 12,000/-	Rs. 12,000/-
4	धरोहर धनराशि (रिफेन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 10,000/-
5	कीडा शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-
6	विकास शुल्क (प्रतिवर्ष)	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/	Rs. 5,000/-	Rs. 5,000/-
7	विधुत उपभोग शुल्क (उपभोग के अनुसार)	उपभोग के अनुसार	उपभोग के अनुसार	उपभोग के अनुसार	उपभोग के अनुसार
	कुल योग	**Rs. 98,000/-**	**Rs. 5,38,000/-**	**Rs. 1,38,000/-**	**Rs. 5,38,000/-**

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0 / एम0एस0) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा अन्तिम काउन्सिलिंग से पूर्व सीट छोड़े जाने पर उनके द्वारा जमा शुल्क में से रू0 **6,000** / – (बॉण्ड के साथ) एवं रू0 **10,000** / – (बॉन्ड रहित) की कटौती कर शुल्क वापस किया जायेगा।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाईन माध्यम (**NEFT/RTGS**) से किया जा सकता है। बैंक ड्रॉफ्ट प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन / विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिर्वतन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।

Bank Details

Account No.:	*424001000606*
Account Name :	***Principal, Government Doon Medical College, Dehradun.***
Account type:	*Savings*
Bank Name:	*ICICI Bank*
Branch:	*Arhat Bazaar Dehradun.*
IFSC Code :	*ICIC0004240*

Please mention NEET-Roll Number and Name in Bank form, for identificationof payment.

- *The UTR Number/Transaction (along with copy of payment advice) details have to be provided to college through email along with the Form attached below.*
- *While paying through NEFT/RTGS/ Demand Draft student must ensure that their name and NEET Roll Number is entered in the transaction narration.*
- *Payment made through, NEFT/RTGS/Etc. are subject to realization from bank, the college will not be held responsible for any delay.*
- *Candidates are required to read the **bond documents and bond information**.*

GDMC SeatDetails

Program	Total Seat	Date Of Permission	Remarks	State Seat	All India Seat
MD (ANAESTHESIOLOGY)	5	18.11.2021 & 15.06.2023	Permitted	2	3
MD (ANATOMY)	3	28.02.2020	Permitted	2	1
MD (FORENSIC MEDICINE)	3	24.08.2022	Permitted	2	1
MD (GENERAL MEDICINE)	3	15.09.2022	Permitted	1	2
MD (MICROBIOLOGY)	3	27.02.2020	Permitted	1	2
MS (OBST and GYNAE)	9	25.11.2021 & 30.05.2023	Permitted	4	5
MS (OPTHALMOLOGY)	3	01.09.2022	Permitted	1	2
MD (PHYSIOLOGY)	5	28.02.2020	Permitted	3	2
MD (PATHOLOGY)	2	18.11.2021	Permitted	1	1
MD (PHARMACOLOGY)	4	28.02.2020	Permitted	2	2
MD (COMMUNITY MEDICINE)	2	27.02.2020	Permitted	1	1
MD (BIOCHEMISTRY)	1	18.11.2021	Permitted	-	1
MS(ENT)	2	18.11.2021	Permitted	1	1
MS (General Surgery)	5	25.11.2021	Permitted	2	3
MS (ORTHOPAEDICS)	3	10.09.2022		2	1
TOTAL	53	-	-	25	28

ThestatusofseatscanalsobecheckedfromNMCwebsiteunderCollegeandCoursesearch.

संख्या– 837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

चिकित्सा शिक्षा अनुभमाग – 1 देहरादूनः दिनांक 26 जून, 2019

विषयः चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड / अनुबन्ध पत्र को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

1 – कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून एम.0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क के एवज में राजकीय सेवा सम्बंधि बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य है। बॉण्डधारी चिकित्सकों को बॉण्ड की शर्तों के क्रम में राज्य के पर्वतीय, दुर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों में संविदा पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति दी जाती है।

वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2056 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट होने बाल चिकित्सकों से उक्त सभी रिक्त पद भर जायेंगे।

2 – राजकीय मेडिकल कॉलेजों से राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड / अनुबन्ध पत्र के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर / जूनियर रेजिडेन्सी पर तब तक नहीं रखा जाता है, जब तक कि उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र के अनुसार सेवायें दुर्गमरुदूरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण न की हों। जिस कारण राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर / जूनियर रेजीडेन्टो की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड / अनुबन्ध पत्र पर नॉन क्लीनिकल विषयों में पी0जी0 पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद उपलब्ध नहीं है।

3 – उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं –

i – राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरावून और हल्द्वानी मैं बॉण्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

ii – वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल तथा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में छात्रों के लिए बॉण्ड की सुविधा ऐच्छिक आधार पर अनुमन्य होगी।

iii- सभी शसकीय मेडिकल कॉलेजों में ऑल इण्डिया कोटे के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों क लिए बॉण्ड अनुमन्य नहीं होगा अर्थात वे पूर्ण शुल्क पर ही पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे।

iv- राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम पर्ष जूनियर रेजीडेन्ट, दूसरे व तीसरे वर्ष की सेवायें राज्य के दूर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, अंतिम दो वर्षों की सेवायें राज्य के जिला चिकित्सालियों / पर्वतीय / सुगम क्षेत्रों में देंगे।

v- नॉन क्लीनिकल विषयों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में चयनित छात्रों हेतु बॉण्ड की अनुमन्यता नहीं होगी, क्योंकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा में राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों पर अवस्थित चिकित्सालयों में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप पद नहीं है।

vi- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा–स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने करने की अनुमति होगी एवे इस बॉण्ड की शर्तो में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। शेष दूसरे वर्ष की सेवायें राज्स के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में देंगे।

vii- बॉण्ड की धनराशि समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

कृप्या उपरोक्तानुसार अग्रेसर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या– संख्या– 837/XXVIII(1)/19-19(मे0का0)/2015 एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4– समस्त प्राचार्य, राजकीय मकडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
5– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्या- 2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015

प्रेषक,

डॉ0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

2- निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय, देहरादून।

3- समस्त प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 20 ~~दिसम्बर, 2016~~ जनवरी, 2017

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रमों में रियायती शिक्षण शुल्क पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु अनिवार्य सेवा संबंधी बॉण्ड में विहित प्रतिभू धनराशि को बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से पूर्व में शासनादेश सं0-943/XXVIII(1)/2008-19/2005 T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश सं0-2735/दस-2005-8(9)/2004 दिनांक 23.07.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किया गया।

2- अवगत कराना है कि उक्तानुसार एम0बी0बी0एस तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किये जाने के पश्चात भी प्रायः यह संज्ञान में आया कि रियायती दर पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात बॉण्डधारी चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन को निष्फल किये जाने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकायें योजित करके अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन से बचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

3- उक्त सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

i- शासनादेश सं0-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर, अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर-5(iv)(a)(b)तथा

प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को बढ़ाकर एकमुश्त ₹ 2,00,00,000/– (₹ दो करोड़ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

ii– शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर–5(iv)(a)(h) तथा प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को बढ़ाकर एकमुश्त ₹ 2,50,00,000/– (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है।

4– उपरोक्तानुसार प्रस्तर–3(i) तथा 3(ii) में बढ़ी हुई बॉण्ड धनराशि शैक्षणिक सत्र 2017–18 से लागू होगी।

5– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड में विहित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

6– उपरोक्त में विहित प्राविधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों का होगा।

7– उक्त संबंध में कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य में समय–समय पर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या– /XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या– 879 /XXVIII(1)/2017-19(मे0का0)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक/ 5 जुलाई, 2017

विषय:– **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2984 / चि0शि0 / 01 / निदे0 / 153 / 2017 दिनांक 07. 07.2017 एवं पत्र संख्या–3054 / चि0शि0 / 03 / मेडिकल / 15 / 2017 दिनांक 13.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017, शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से पूर्व में शासनादेश सं0–943/XXVIII(1)/2008-19/2005 T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश सं0–2735 / दस–2005–8(9) / 2004 दिनांक 23.07.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किया गया।

3– अवगत कराना है कि उक्तानुसार एम0बी0बी0एस तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किये जाने के पश्चात भी प्रायः यह संज्ञान में आया कि रियायती दर पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात बॉण्डधारी चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन को निष्फल किये जाने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकायें योजित करके अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन से बचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

4– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश स0–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i– शासनादेश स0–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर–5(iv)(a)(b)तथा प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को घटाकर एकमुश्त ₹ 1,00,00,000 / – (₹ एक करोड़ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

ii– शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के साथ संलग्न बॉण्ड में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले बॉण्डधारी एम0बी0बी0एस0 छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त पर्वतीय क्षेत्रों में 03 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि को बढ़ाकर 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि किया जाता है।

E:\Yashwant Sir\Draft 2017.doc

5– उपरोक्तानुसार संशोधन शैक्षणिक सत्र 2017–18 से लागू होंगे।

6– यदि ऐसे छात्र–छात्रा द्वारा पर्वतीय सेवा अवधि 05 वर्ष से कम में सेवा का परित्याग किया जाता है अथवा अनाधिकृत रूप से 02 माह से अधिक लगातार अनुपस्थित रह जाता है, तो उसे शेष रह गयी अवधि के अनुपात में बॉण्ड की धनराशि राजकोष में जमा करनी होगी।

7– एम0बी0बी0एस0 बॉण्डधारी चिकित्सकों को पंजीकरण के उपरान्त प्रथम वर्ष में राज्य के 09 जिलों (देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर को छोड़कर) के जिला चिकित्सालयों में/आधार चिकित्सालयों में तैनात किया जायेगा। इसके उपरान्त उन्हें इन्ही जिलों के सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों में तैनात किया जायेगा। 02 माह से कम की अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में उनके वेतन से निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

- i– किसी माह में 01 से 10 दिनों तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में वेतन कटौती प्रति दिवस दोगुना वेतन कटौती के अनुसार होगी।
- ii– किसी माह में 10 दिनों से अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र न होने की दशा में एक माह के वेतन के बराबर कटौती होगी।

8– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड में विहित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

9– उपरोक्त मे विहित प्राविधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों का होगा।

10– उक्त संबंध में कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य में समय–समय पर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।